

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 420]	दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 15, 2017/कार्तिक 24, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 339
No. 420]	DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 15, 2017/KARTIKA 24, 1939	[N.C.T.D. No. 339

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

व्यापार एवं कर विभाग

(नीति शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 15 नवम्बर, 2017

सं. फा. 2(12)/पोलीसी/वैट/2017/1066-1073.—मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2004 की धारा 70 की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (3) के अन्तर्गत मुझे प्रदत्त की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एच. राजेश प्रसाद, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, सार्वजनिक हित के अनुसार, सभी पंजीकृत व्यापारियों द्वारा अपना शेष भंडार प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 15 दिसंबर 2017 तक बढ़ा दिया गया है, जो इस अधिनियम के तहत 31 मार्च 2017 और 30 जून 2017 को पंजीकृत थे, नीचे वर्णित सारणी के अनुरूप विभागीय वेबसाइट www.dvat.gov.in पर ऑनलाइन जमा करना अपेक्षित है।

दिनांक _____ को शेष भण्डार	राशि (₹)
दर	
0%	
1%	
5%	
12.50%	
20%	
कुल योग	

यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
एच. राजेश प्रसाद, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES
(POLICY BRANCH)
NOTIFICATION

Delhi, the 15th November, 2017

No. F. 2(12)/Policy/2017/1066-1073.—In exercise of the powers conferred upon me by sub-section (1) read with sub-section (3) of section 70 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004, I, H. Rajesh Prasad, Commissioner, Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, as per public interest, do hereby extend the last date of submitting the details of closing stock as was held by the registered dealers on 31st March, 2017 and 30th June, 2017, online on the website of the department i. e. www.dvat.gov.in as per the following format, up to 15th December, 2017.

Closing Stock as on	
Rate	Amount (₹)
0%	
1%	
5%	
12.50%	
20%	
TOTAL	

This notification shall come into force with immediate effect.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
H. RAJESH PRASAD, Commissioner, VAT